बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 142377 पटना, दिनांक 14/03/2013

ग्रा.वि.-5/इं.आ.यो.(द्वि.कि.वि.अभि.)-102-14/2012

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,

सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार ।

महाशय,

इंदिरा आवास योजना की राज्य स्तर पर समीक्षा करने से यह ज्ञात हुआ है कि कई जिलों में इस योजना में अभी भी काफी बड़ी अवशेष राशि बची हुई है । ऐसा भी देखा गया है कि जिलों में द्वितीय किस्त पाने वाले पात्र परिवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रखंड स्तर पर साप्ताहिक शिविरों के प्रभावकारी आयोजन नहीं होने के कारण राशि का वितरण नहीं हो रहा है। यह अत्यंत ही गंभीर स्थिति है ।

2. राज्य स्तर पर इस बात पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गयी है और तदनुसार यह दिशानिर्देश दिया जाता है कि इस वित्तीय वर्ष की बची हुई अवधि में प्रखंड स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करके द्वितीय किस्त के पात्र परिवारों को द्वितीय किस्त का भुगतान किया जाय ताकि उपलब्ध सम्पूर्ण राशि का शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित हो सके ।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन जिलों में अप्रत्याशित रूप से अधिक अव्यवहृत राशि बचेगी तथा बड़ी संख्या में पात्र परिवार होने के बावजूद भी द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान नहीं होगा, उसे कर्त्तव्य के प्रति कोताही मानते हुए संबंधित उप विकास आयुक्त पर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा विभाग के द्वारा की जाएगी ।

4. जिन प्रखंडों में यह स्थिति पायी जाएगी, उन प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी को कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही के आरोप में निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलायी जाएगी और उनकी सेवाएं प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में आगे जारी नहीं रखी जाएगी ।

5. अनुरोध है कि इस दिशानिर्देश से उप विकास आयुक्त एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आज ही अवगत करा दें ताकि हर किसी को सुधार करने का अवसर मिल सके ।

इसे अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण समझें ।

विश्वासभाजन

14.3.13

(अमृत लाल मीणा)

सचिव

ज्ञापांक 142377 दिनांक 14/03/2013

प्रतिलिपि :- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14.3.13

सचिव